संख्या-4/2019/2221/46-1-18-1000(53)/2017

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कम पड़ रही धनराशियों हेतु पुनर्विनियोग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1561/लेखा-बजट (पुनर्विनियोग)/2018-19, दिनांक 19.11.2018 एवं पत्र संख्या-1757/लेखा-बजट (पुनर्विनियोग)/2018-19, दिनांक 07.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-23(गन्ना) लेखाशीर्ष-"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना-01-वेतन" में प्राविधानित धनराशि रू. 14981.26 लाख में घटित होने वाली बचतों में से रू. 119.49 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख उनंचास हजार मात्र) को **लेखाशीर्ष-"2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान** के अन्तर्गत मानक मदों यथा-42-अन्य व्यय (मतदेय) मद में रू. 2.25 लाख, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) मद में रू. 10.00 लाख एवं **लेखाशीर्ष- "2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत मानक मदों यथा-**01-वेतन मद में रू. 50.00 लाख, 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में रू. 0.44 लाख, 06-अन्य भत्ते मद में रू. 18.00 लाख, 09-विद्युत देय मद में रू. 10.00 लाख, 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू. 0.50 लाख, 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व मद में रू. 2.80 लाख, 49-चिकित्सा व्यय मद में रू. 1.00 लाख, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) मद में रू. 5.50 लाख तथा **लेखाशीर्ष फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना** के अन्तर्गत **मानक मदों यथा-**05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में रू. 2.00 लाख, 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू. 1.00 लाख, 49-चिकित्सा व्यय मद में रू. 16.00 लाख संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जाये, यदि प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं हो पाती है।

3- बचत की धनराशि गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4- बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23(गन्ना) के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक "2401-**फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान, **लेखाशीर्षक-"2401-**फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय तथा **लेखाशीर्षक "2401-**फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना के अन्तर्गत संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-6-43/दस-2019, दिनांक 15 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-4/2019/2221(1)/46-1-18-02-1000(53)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in